

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी


हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
 वनाम

तारीख हुक्म

मु. सं.

28.11.22

आज फत्रावली पेश हुई। प्रार्थी
 एवं इनके वकील के आवाज लावाई गया
 किन्तु उपस्थित नहीं आये। वकील अपूर्ण उप
 फत्रावली इन्जार् में रखी गयी। न्यायालय
 समक्ष समाप्ति से पूर्व पुनः रुक-रुक कर
 कइवार आवाज लावाई गयी किन्तु प्रार्थी व
 इनके वकील उपस्थित नहीं आये। अतः
 प्रार्थी का प्रार्थना पर अस्थाई निषेधाज्ञा
 प्रार्थी की अदम हाजरी व अदम पेशी
 में खारिज किया जाता है। दिनांक 2.3.21
 को अप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी अस्थाई
 निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। फत्रावली
 फैसल सुनार होकर दोखिल दफतर हो।
 फत्रावली मूल वाद संलग्न रहे।
 आदेश सुनाया गया।


 उपखण्ड अधिकारी
 महाराज जिला दौसा